...ीय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **54 / 2021**

प्रार्थीगण :–

1. सांवलराम पुत्र नवाराम उम्र 52 वर्ष जाति चौधरी निवासी सराणा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)
2. भेराराम पुत्र नवाराम उम्र 47 वर्ष जाति चौधरी निवासी सराणा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
3. गवरी पत्नि नवाराम उम्र 73 वर्ष जाति चौधरी निवासी सराणा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
2. मोटाराम पुत्र तिलोकाराम जाति चौधरी निवासी सराणा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत्</u>

अधिवक्तागण :– 1.श्री अचलाराम थोरी प्रार्थी वकील

'आदेश'

दिनांक :– 03.03.2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य है कि सरहद मौजा सराणा पटवार क्षेत्र सराणा तह. पचपदरा में खसरा संख्या मूल 597 जिसके नये खसरा संख्या 1117 / 597 रकबा 21 बीघा 17 विस्वा व खसरा संख्या 1118 / 597 रकबा 11 बीघा 05 विस्वा अवस्थित है। जिसमें से खसरा संख्या 1118 / 597 में प्रार्थीगण का 1 / 2 हिस्सा है, व शेष 1 / 2 हिस्सा प्रफोर्मा विप्रार्थी सं. 02 का है, वर्तमान प्रकरण में हिस्से सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है, किन्तु खसरा संख्या 1118 / 597 व 1117 / 597 के नक्शा में की गई वर्तमान तरमीम को लेकर प्रार्थी संख्या –1 से विवाद की स्थिति है, प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार माफिक कब्जा काश्त अनुसार होनी चाहिये थी, किन्तु मौके पर उक्त खसरों की तरमीम विपरीत है। अतः राजस्व रेकर्ड नक्शे में किये गये गलत व त्रुटिपूर्ण अंकन को सुधार कर प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' अनुसार वास्तविक कब्जे काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त करने का निवेदन किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:59:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज [illegible] विप्रार्थीगण [illegible] जरिये नोटिस भिजवाये गये। विप्रार्थीगण संख्या –2 ने नोटिस [illegible] गया। अतः उक्त विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। तहसीलदार पचपदरा को दि[illegible] 23.9.2021 को तहरीर जारी की गयी । जिसकी पालना रिपोर्ट क्रमांक / भू.अ / 2021 / 1800 दिनांक 18.10.2021 के प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा ने पालना रिपोर्ट में जाहिर किया की उक्त भूमी सराणा बस स्टैण्ड से सराणा ग्राम सडक पर अवस्थित है। राजस्व लट्ठा ट्रेस में वर्तमान में जो तरमीम

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

है वो मौका अनुसार नहीं है। वर्तमान तरमीम अनुसार प्रार्थीगण को खसरा संख्या 1118/597 रकबा 11–05 बीघा में 1/2 हिस्सा नहीं मिल रहा है तथा प्रफोर्मा पार्टी संख्या –2 का 1/2 हिस्सा से अधिक भूमि मिल रही है जो त्रुटिपूर्ण तरमीम के कारण से संलग्न नक्शा अनुसार बरंग गुलाबी दर्शाई गई भूमि तरमीम से छोडने योग्य है क्यों कि उक्त जगह खातेदारान का कब्जा नहीं है तथा बंरग हरा दर्शाई गई भूमि तरमीम हेतु प्रस्तावित की गई भूमि है। बरंग हरा दर्शाई गई भूमि की तरमीम किया जाना उचित होगा।

हमनें विद्ववान अधिवक्तागण प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई व तहसीलदार पचपदरा की पालना रिपोर्ट व पत्रावली मे प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरहद मौजा सराणा पटवार क्षेत्र सराणा तह. पचपदरा में खसरा संख्या मूल 597 जिसके नये खसरा संख्या 1117/597 रकबा 21 बीघा 17 विस्वा व खसरा संख्या 1118/597 रकबा 11 बीघा 05 विस्वा के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के विपरीत नक्शे में त्रुटिपूर्ण अंकन को सुधार कर तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित नक्शा वास्तविक कब्जे काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'अ' प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तावित नक्शा आदेश के अभिन्न अंग होगा।

(नरेश सोनी)
भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

नरेश सोनी
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 03.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

नरेश सोनी
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:59:12 IST
Reason: SelfAttested